10.7.2023	पत्रावली आज पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं आया। अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा गत पेशी पर कोई सूचना नहीं होना एवं अपीलान्ट की ओर से उनको कोई पैरवी की हिदायत नहीं होना जाहिर करते हुये पैरवी किये जाने से इन्कार किया गया। तदोपरान्त वकील की कोताही से किसी पक्षकारान के हक हकूकों पर विपरीत असर नहीं पडे इसलिऐ न्यायहित में उभयपक्षकारान को कार्यालय स्तर से नोटिस क्रमांक 161–62 दिनांक 8.2.2023 भी जारी किये गये। जिन पर अपीलान्ट संख्या 2,3,4 की तामील भी हो चुकी है जो बाद तामील शामिल फायल है किन्तु आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं आया। इस पत्रावली को राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां से मुन्तिकिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुये करीब 3 साल से अधिक का एक लम्बा अर्सा गुजर चुका है। गत पेशी पर वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से कोई सूचना नहीं होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को कई बार, बार–बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु न तो अपीलान्ट उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अपीलान्ट का यह रवैया उनकी केस को आगे न चलाये जाने की दिचस्पी को दर्शाता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक क्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी /वादी/अपीलान्ट का ही रहता है। 3 साल से अधिक समय का एक लम्बा अर्सा गुजार जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा इस ओर कोई तवज्जो न दिया जाना प्रकरण की देरीन के मध्यनजर कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट का न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना एवं किसी भी अपीलान्ट की ओर से अपने वकील को विचाराधीन अपील में	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर